अध्याय–दो
अनुपालन लेखापरीक्षा

- पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन
- अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय दो : अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.1 पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन

2.1.1 प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं की परिसम्पत्तियों में चल एवं अचल परिसम्पत्तियां, जो कालान्तर से उनके स्वामित्व की है एवं जिन्हें समय–समय पर अर्जित किया गया हो, सम्मिलित है, यथा पंचायत भवन, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर, शाला भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक कूप, स्टाप डेम, पुलिया सहित पहुंच मार्ग इत्यादि। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियाँ एवं कार्य) नियम, 1999 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्तियों का हिसाब रखने, उनकी सुरक्षा तथा रखरखाव पर ध्यान रखना एवं ग्राम पंचायत की अचल सम्पत्तियों को अतिक्रमण से बचाने हेतु सतर्क रहना, ग्राम पंचायत के सचिव का उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत उनसे सम्बन्धित पंचायतों की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी हैं।

परिसम्पत्ति प्रबन्धन के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन, अर्जन, उचित रूप से लेखांकन, उपयोग, अनुरक्षण एवं निस्तारण का निर्णय करना एवं आयोजना सम्मिलित है। पंचायती राज संस्थाओं में परिसम्पत्ति प्रबन्धन की लेखापरीक्षा हेतु जनसंख्या के आंकड़ों के आधार को उपयोग करते हुए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बिना प्रतिस्थापन पद्धति से दो जिलों, अनुपपुर (आदिवासी जिला) एवं देवास (गैर आदिवासी जिला) का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास के साथ–साथ इन दोनों जिलों के समस्त जनपद पंचायतों (जिला अनुपपुर की चार जनपद पंचायतें एवं देवास जिले की छह जनपद पंचायतें) के 2011–12 से 2015–16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। प्रत्येक जनपद पंचायत के अंतर्गत दस ग्राम पंचायतों का चयन सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति से किया गया था। तदनुसार 100 ग्राम पंचायतों का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था ***(परिशिष्ट–2.1)***।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदण्ड एवं क्रियाविधि पर चर्चा हेतु दिनांक 30 मार्च 2016 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से दिनांक 20 जनवरी 2017 को निर्गम सम्मेलन किया गया। शासन के उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 आयोजना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश (अप्रैल 2006) के अनुसार, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय विभागों एवं ग्राम सभा की परिसंपत्तियों की निगरानी एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायतों द्वारा भवनों, नालियों, आंतरिक सड़क एवं पेयजल स्रोतों इत्यादि के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार किया जाना आवश्यक था, जिसे ग्राम सभा से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था।

आगे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49(क), 50 एवं 52(1) के अनुसार, पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्ययोजना

तैयार कर उसे जनपद पंचायत की कार्ययोजना के साथ निर्धारित समय में एकीकरण के लिए जनपद पंचायत को प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी थी। आगे, जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार करने एवं समेकित कर जिले की वार्षिक कार्ययोजना में समेकन करने हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी थी।

पंचायत क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों ने वार्षिक कार्ययोजना एवं वार्षिक बजट नहीं तैयार किया था। इन ग्राम पंचायतों के सचिवों ने उत्तर में बताया (अप्रैल–जुलाई 2016) कि भविष्य में वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी एवं परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार, ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के वार्षिक कार्ययोजना बनाने के प्रावधान तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण क्षेत्र की परिसंपत्ति के अनुरक्षण हेतु वार्षिक अनुरक्षण योजना को तैयार करने के निर्देशों, के अनुपालन करने में विफल रही।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि आगामी वर्ष से ग्राम पंचायतों की सहभागिता से योजना बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.3 वित्त प्रबन्धन

पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु राज्य शासन ने विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा, परफार्मेन्स ग्रान्ट, विधायक निधि, सांसद निधि, जनभागीदारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान राशि के रूप में जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को निधियां प्रदान की। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार राज्य प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में ₹ 10 लाख तक के व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रकरण में ₹ 15 लाख तक के निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। उक्त सीमा से अधिक के निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेन्सी है, द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कुल प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण **तालिका–2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.1: केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों सहित प्राप्तियॉ	योग	व्यय	अंतिम शेष
2011–12	23.43	46.29	69.72	30.21	39.51
2012–13	39.51	157.24	196.75	136.61	60.14
2013–14	60.14	181.39	241.53	147.79	93.74
2014–15	93.74	131.78	225.52	122.13	103.39
2015–16	103.39	93.17	196.56	101.17	95.39

(स्रोतः नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

इस प्रकार, सम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान राशि में वर्ष 2011–12 से 2015–16 में वृद्धि हुई। तथापि, जिला एवं जनपद पंचायतें सम्पत्तियों के सृजन के लिए प्राप्त अनुदानों का उपयोग नहीं कर सकी एवं इन वर्षों में अप्रयुक्त शेषों की राशि ₹ 39.51 करोड़ से ₹ 103.39 करोड़ के मध्य रही।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य शासन ने पंच परमेश्वर योजना, जिसे वर्ष 2011–12 में प्रारम्भ किया गया था, के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सीधे ग्राम पंचायतों को

राशि जारी की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने विभिन्न सहायता अनुदान योजनाओं यथा तेरहवें/चौदहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम सभा के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान एवं पंचायती राज संस्थाओं को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु अनुदान की निधि को एक मुश्त सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में अंतरित किया था।

योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि का उपयोग आंतरिक सड़क/नाली निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवनों एवं ई–पंचायत कक्ष निर्माण में किया जाना था। आगे योजना की 20 प्रतिशत राशि को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु व्यय किया जाना था।

2011–16 के दौरान पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत नमूना जांच की गई जिला पंचायतों की 777 ग्राम पंचायतों में कुल ₹ 196.16 करोड़, अनुपपुर (₹ 71.93 करोड़) एवं देवास (₹ 124.23 करोड़) जारी किए गए थे। जिसके विरूद्ध ग्राम पंचायतों ने कुल ₹ 162.48 करोड़ (₹ 60.07 करोड़ एवं ₹ 102.41 करोड़ क्रमशः अनुपपुर एवं देवास में) व्यय किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों ने योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेख होने के बावजूद योजना निधि का 20 प्रतिशत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय नहीं किया था। विवरण **तालिका–2.2** में वर्णित है।

तालिका–2.2: नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर उपयोग हेतु कुल जारी राशि का 20 प्रतिशत	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर वास्तविक व्यय	परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर कम उपयोग
2011–12	6.01	1.20	0.06	1.14
2012–13	6.03	1.20	0.14	1.06
2013–14	6.46	1.29	0.25	1.04
2014–15	3.45	0.69	0.32	0.37
2015–16	6.40	1.28	0.34	0.94
योग	28.35	5.66	1.11	4.55

(स्रोतः पंचायत राज संचालनालय एवं नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों ने परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए ₹ 4.55 करोड़ कम उपयोग किए

इस प्रकार, 2011–16 के दौरान पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर ₹ 4.55 करोड़ कम व्यय किए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 100 ग्राम पंचायतों में से 32 से 84 ग्राम पंचायतों द्वारा 2011–16 की अवधि में परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर कोई भी व्यय नहीं किया गया। आगे संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु पृथक से बैंक खाता संधारित नहीं किया गया यद्यपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश (अप्रैल 2006) के अंतर्गत ऐसा आवश्यक था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास की ग्राम पंचायतों में निर्मित 70 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों[1] में से 65 सामुदायिक स्वच्छता परिसर[2] अनुरक्षण के अभाव में अनुपयोगी रहे थे। आगे यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायतें, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई एवं अनुरक्षण के लिए उपभोक्ता शुल्क का आरोपण नहीं कर रही थीं। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया (जून 2016) कि अनुरक्षण हेतु निधियों की अनुपलब्धता के कारण सामुदायिक स्वच्छता परिसर अनुपयोगी हो गए थे। इस प्रकार पंच परमेश्वर योजना में

[1] जिला पंचायत अनुपपुर की 24 ग्राम पंचायतें एवं जिला पंचायत देवास की 46 ग्राम पंचायतें

[2] जिला पंचायत अनुपपुर की 22 ग्राम पंचायतें एवं जिला पंचायत देवास की 43 ग्राम पंचायतें

प्रावधान होने के बावजूद भी इन ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, परिणामस्वरूप पंचायतों की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्तता की स्थिति में पहुंच गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर में बताया कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान का 20 प्रतिशत व्यय किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह अधिकतम सीमा थी। आगे यह भी बताया कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के मरम्मत हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किए जाएंगे।

शासन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पंच परमेश्वर योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार 20 प्रतिशत राशि सम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्रावधानित थी।

2.1.3.1 तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट का व्यपवर्तन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पंचायत राज मार्गदर्शिका के अनुसार जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को जारी तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट का उपयोग अद्योसंरचना विकास कार्यों के निर्माण हेतु जैसे ग्राम पंचायतों में ई–पंचायतें एवं पंचायत भवन, सीमेन्ट कंक्रीट रोड, नाली, पुलिया, सार्वजनिक मूत्रालय, मूलभूत सुविधा का सृजन जैसे पंचायत के कार्यालय भवन एवं पंचायत भवनों का विस्तार, बाउन्ड्रीवाल हेतु किया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं ने तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट से ₹ 46.59 लाख के अस्वीकार्य व्यय किए

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट से जिला पंचायत अनुपपुर, जनपद पंचायत बागली एवं जनपद पंचायत खातेगांव द्वारा जनपद पंचायत भवन, कर्मचारी आवास एवं दुकानों के निर्माण पर ₹ 46.69 लाख **(तालिका–2.3)** व्यय किए गए, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी *"पंचायत राज मार्गदर्शिका"* के दिशानिर्देश के अनुसार स्वीकार्य व्यय नहीं थे।

तालिका–2.3: परफार्मेन्स ग्रान्ट से विनिर्दिष्ट उदद्श्यों के अलावा अन्य कार्यो का निष्पादन

(₹ लाख में)

स. क्र.	जि.पं./ज.पं.	कार्य का नाम	कुल कार्य	स्वीकृत राशि	मई 2016 की स्थिति में किया गया व्यय
1	जि पं. अनुपपुर	जनपद पंचायत भवन एवं कर्मचारी आवास	2	51.90	35.49
2	ज.पं. बागली	दुकान निर्माण	16	11.83	9.70
3	ज.पं. खातेगांव	दुकान निर्माण	1	1.50	1.50
		योग	**19**	**65.23**	**46.69**

(स्रोतः नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने उत्तर में बताया कि व्यय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था तथा वह मार्गदर्शिका के अनुसार था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत कार्य, मार्गदर्शिका में वर्णित अधोसंरचना विकास के विर्निदिष्ट कार्य नहीं थे।

2.1.3.2 निधि का संदिग्ध दुर्विनियोजन

पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 (1) में उल्लिखित किया गया कि सक्षम अधिकारी की राय में यदि कोई राशि/वस्तु/अभिलेख किसी व्यक्ति द्वारा अप्राधिकृत रुप से रखी गयी है तो सक्षम अधिकारी उसकी वसूली हेतु लिखित आदेश जारी करेगा।

निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा एवं कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि तीन ग्राम पंचायतों में ₹ 4.24 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया, विवरण **तालिका–2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.4: योजना निधि के संदिग्ध दुर्विनियोजन से संबंधित प्रकरण

स. क्र.	निर्माण कार्यों की कार्यकारी एजेंसी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1	ग्राम पंचायत जुहिली जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपुर	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजनान्तर्गत सामुदायिक भवन एवं ई–पंचायत कक्ष के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत ₹ 10.00 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के विरुद्ध ₹ 5.00 लाख एवं ₹ 2.50 लाख की निधि क्रमशः अप्रैल 2013 एवं दिसंबर 2013 में जारी की गई थी। इन कार्यों हेतु 2013–15 के दौरान सरपंच एवं सचिव ने ₹ 7.49 लाख आहरित की थी जबकि माप पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की लागत मात्र ₹ 4.70 लाख थी। इस प्रकार, वास्तविक निष्पादित कार्य से ₹ 2.79 लाख की निधि का अधिक आहरण किया गया था। ग्राम पंचायत ने अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में बताया कि पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा बैंक खाते से राशि का आहरण किया गया था तथा कार्य दिसम्बर 2014 से (सामुदायिक भवन) तथा दिसम्बर 2015 से (ई–पंचायत भवन) बन्द था। तथ्य यह है कि किए गए कार्य से ₹ 2.79 लाख अधिक का आहरण दर्शित करता है कि शासकीय राशि का गबन किया गया होगा।
2	ग्राम पंचायत चौबाराजागीर जनपद पंचायत सोनकच्छ (देवास)	सांसद निधि से ₹ 1.00 लाख लागत का मांगलिक भवन स्वीकृत किया गया था (मार्च 2010) जिसके विरुद्ध ₹ 0.90 लाख (₹ 0.50 लाख जून 2010 में तथा ₹ 0.40 लाख जून 2014 में) जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरपंच एवं सचिव द्वारा कार्य के लिए ₹ 0.70 लाख आहरित किए गए थे। तथापि, माप पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य की लागत मात्र ₹ 0.44 लाख थी। ग्राम पंचायत ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2010) कि पूर्व सचिव द्वारा छत स्तर तक का कार्य निष्पादित करवाया गया उसके बाद से कार्य बन्द था। इस प्रकार, ₹ 0.26 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया था।
3	ग्राम पंचायत धतूरिया जनपद पंचायत टोंकखुर्द (देवास)	अनुसूचित बस्ती विकास योजनान्तर्गत 2010–11 में ₹ 5.00 लाख का मांगलिक भवन स्वीकृत किया गया था। जनपद पंचायत टोंकखुर्द ने राशि ₹ 4.00 लाख दो किस्तों में ₹ 2.00 लाख प्रति किस्त के मान से क्रमशः दिसंबर 2011 एवं जनवरी 2014 में जारी की थी जिसके विरुद्ध सरपंच एवं सचिव द्वारा 2013–14 तक ₹ 3.65 लाख का आहरण किया गया था। तथापि माप पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य की लागत मात्र ₹ 2.46 लाख थी। इस प्रकार, ₹ 1.19 लाख का संभावित दुर्विनियोजन किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया (मार्च 2016) कि पूर्व सरपंच एवं सचिव ने ₹ 3.65 लाख आहरित किया एवं निधि के आहरण तथा लागत वृद्धि के कारण कार्य बन्द था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की जांच की जाएगी तथा तदनुसार दुर्विनियोजित निधि की वसूली की जाएगी।

2.1.3.3 ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु प्राप्त अनुदान का व्यपवर्तन

पंचायती राज संस्थाओं ने परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए प्राप्त ₹ 38.47 लाख सामान्य उद्देश्यों पर व्यय कर व्यपवर्तित किए

राज्य शासन ने 2010–11 से 2012–13 के दौरान नमूना जांच की गई जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु राशि ₹ 61.37 लाख जारी किया। दस नमूना जांच की गई जनपद पंचायतों में से केवल जनपद पंचायत कोतमा (जिला पंचायत अनुपपुर) ने सम्पूर्ण सहायता अनुदान ₹ 1.21 लाख ग्राम पंचायतों को जारी की थी। अन्य छह जनपद पंचायतों[3] ने सहायता अनुदान राशि ₹ 38.47 लाख को सामान्य प्रयोजन जैसे कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यय व नये कार्यों के निर्माण पर व्यय कर राशि व्यपवर्तित की। जिला पंचायत अनुपपुर, जनपद पंचायत देवास और जनपद पंचायत जैतहरी में समस्त सहायता अनुदान ₹ 22.39 लाख प्राप्ति के तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अव्ययित पायी गयी। जनपद पंचायत अनुपपुर द्वारा सहायता अनुदान राशि ₹ 2.10 लाख तीन वर्ष तक अव्ययित रखने के बाद शासन को समर्पित की गयी। इस प्रकार जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा नियत उद्देश्यों हेतु प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि प्रदाय की गई विनिर्दिष्ट अनुदान का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य पर किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथापि, तथ्य यह है कि छह जनपद पंचायतों द्वारा नियत उद्देश्यों हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्राधिकृत रूप से स्वीकृत उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए प्रत्यावर्तित की गयी जिसके नियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

2.1.4 परिसम्पत्तियों का निर्माण, उपयोग एवं उनका रखरखाव

2.1.4.1 अपूर्ण कार्यों पर अलाभकारी व्यय

1,764 अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹ 55.72 करोड़ का अलाभकारी व्यय

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2006–07 से 2013–14 के दौरान नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,764 कार्य स्वीकृत किए गए जो कि दो से दस वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपूर्ण थे विवरण **तालिका–2.5** में दिया गया है। इन कार्यों में सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, ई–पंचायत भवन, रैन बसेरा, यात्री प्रतीक्षालय, स्कूलों में किचन शेड, आंगनवाड़ी केन्द्र, चबूतरा निर्माण, सड़कों को जोड़ना आदि शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर ₹ 55.72 लाख का किया गया व्यय निष्फल रहा।

तालिका–2.5: नमूना जॉच की गई पंचायती राज संस्थाओं में अपूर्ण कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

स्वीकृत वर्ष	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय
2005–06	1	0.20
2006–07	21	12.60
2007–08	17	10.12
2008–09	14	10.68
2009–10	324	194.70
2010–11	115	77.46

[3] बागली, कन्नोद, खातेगॉव, पुष्पराजगढ़, सोनकच्छ एवं टोंकखुर्द

स्वीकृत वर्ष	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर किया गया व्यय
2011—12	85	548.01
2012—13	75	515.25
2013—14	1,112	4,202.73
	1,764	**5,571.75**

(स्रोतः नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों से एकत्रित जानकारी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों द्वारा रुचि न लेने के कारण कार्य अपूर्ण रहे और उन्हें कार्यशीघ्र पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.4.2 अधोसंरचना विकास कार्य हेतु प्राप्त सहायता अनुदान का अनुपयोगी रहना

जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास को परफारमेंस ग्रांट क्रमशः ₹ 2.40 करोड़ (₹ 1.50 करोड़ जुलाई 2014 में एवं ₹ 0.90 करोड़ मार्च 2015 में) एवं ₹ 4.00 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ जुलाई 2014 में एवं ₹ 1.50 करोड़ मार्च 2015 में) ग्रामीण क्षेत्र में आठ स्टेडियम[4] निर्माण हेतु जारी की गई थी। आगे मुख्य मन्त्री हाट बाजार योजनान्तर्गत हाट बाजार की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु जिला पंचायत देवास को ₹ 10.00 लाख जारी (जुलाई 2013) किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर ने सहायता अनुदान ₹ 2.40 करोड़ में से मार्च 2016 तक कोई व्यय नहीं किया था। आगे, स्टेडियम निर्माण से संबंधित राशि ₹ 3.50 करोड़ तथा हाट बाजार हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु राशि ₹ 10 लाख जिला पंचायत देवास के पास जून 2016 तक अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुपपुर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी परन्तु निविदा प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण क्रियान्वयन एजेंसी को निधि जारी नहीं की गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास ने उत्तर दिया (जून 2016) कि दो कार्यों की प्रथम किस्त क्रियान्वयन एजेंसी को जारी कर दी गई थी और अन्य कार्यों की प्रक्रिया प्रचलन में थी। हाट बाजार के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की निधि के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास ने उत्तर दिया (जून 2016) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाए जाने के बाद निधि जारी की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन द्वारा बताया गया कि निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निविदा व अन्य प्रक्रिया शीघ्र किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि अधोसंरचना विकास निधि राशि ₹ 6.00 करोड़, 15 से 36 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

2.1.4.3 प्री–फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों का निर्माण

राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों मे प्री–फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से एक अनुबंध संपादित किया गया था (नवम्बर 2011)

[4] जिला अनुपपुर में तीन एवं जिला देवास में पांच

तथा सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्य के निष्पादन हेतु मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को एजेंसी नियुक्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था (मई 2012)। नमूना जांच किए गए जिलों में प्री–फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

₹ 6.24 करोड़ दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2014 में अग्रिम दिए जाने के उपरान्त भी मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ने ई–पंचायत कक्षों का निर्माण/ हस्तांतरण नहीं किया

- जिला पंचायत अनुपपुर ने राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गयी अनुबंध की दरों पर एकीकृत कार्य योजना योजनान्तर्गत 200 प्री फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को कार्य आदेश दिया (दिसम्बर 2012)। जिला पंचायत ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को ₹ 2.52 करोड़, जो कि कार्य की कुल लागत राशि ₹ 10.08 करोड़ का 25 प्रतिशत था, अग्रिम जमा किया (दिसम्बर 2012)। कार्य आदेश के अनुसार कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था।

कार्य की धीमी प्रगति के कारण, जिला पंचायत द्वारा 150 कार्य निरस्त (मई 2013) कर दिए गए थे एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को शेष 50 कार्य तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम ₹ 0.71 करोड़ लागत के केवल 14 कार्य पूर्ण कर सका था, किन्तु पूर्ण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया था (अगस्त 2016)। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जिला पंचायत अनुपपुर ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को शेष अग्रिम ₹ 1.81 करोड़ वापस किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे (मई 2016)।

- जिला पंचायत देवास ने मुद्रांक शुल्क निधि से 304 प्री–फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को कार्य आदेश जारी किया था (सितम्बर 2013)। साथ–ही मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को ₹ 3.72 करोड़, जोकि कार्य की कुल लागत राशि ₹ 10.08 करोड़ का 25 प्रतिशत था, अग्रिम जमा भी किया (जनवरी 2014)। निर्माण कार्यों को मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहने के कारण जिला पंचायत ने मार्च 2014 से दिसंबर 2014 के मध्य 233 कार्य निरस्त कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.81 करोड़ मूल्य के केवल 37 कार्य पूर्ण किए गए थे तथा जुलाई 2016 की स्थिति में 34 कार्यों को न तो पूर्ण किया गया था एवं न ही इन कार्यों की राशि वापस की गई थी। आगे, कार्यपालन यन्त्री ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के सब इन्जीनियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की गठित टीम द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन न किए जाने के कारण 37 पूर्ण कार्यों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, जिला पंचायत अनुपपुर एवं देवास द्वारा क्रमशः दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2014 में अग्रिम ₹ 6.24 करोड़ जमा किए जाने के उपरान्त भी प्री–फेब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण करने में असफल रहा। निर्मित किए गए ई–पंचायत कक्षों की लागत राशि ₹ 2.52 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 3.72 करोड़ मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के पास होने के परिणामस्वरुप मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को अदेय आर्थिक लाभ हुआ।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं संबंधित जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पूर्ण ई–पंचायत कक्षों के संयुक्त भौतिक सत्यापन कराने एवं उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतो को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.4.4 *परिसंपत्तियों का अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना*

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि चार जनपद पंचायतों और 12 ग्राम पंचायतों में 18 सामुदायिक परिसम्पत्तियां, जिसमें चार ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर्स, सात सामुदायिक भवन, पांच ई–पंचायत कक्ष, एक उप स्वास्थ्य केन्द्र और एक ग्राम पंचायत भवन है, या तो अप्रयुक्त रही या अभिप्रेत उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की जा रही थी। जैसा ***परिशिष्ट–2.2*** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए परिसम्पत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत हरनावदा के ई–पंचायत भवन का केस अध्ययन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग *ने* सभी जिला पंचायतों को *पंचायत भवन में ई–पंचायत कक्ष* के रूप में एक अतिरिक्त कक्ष निर्मित किए जाने हेतु निर्देशित किया (मई 2012) । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत हरनावदा (जनपद पंचायत टोंकखुर्द, जिला पंचायत देवास) में अगस्त 2015 में ₹ 4.35 लाख लागत पर ई–पंचायत भवन पूर्ण किया गया था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2016) में पाया गया कि ई–पंचायत भवन रिक्त था, जिसे छायाचित्र में देखा जा सकता है ।

ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2016) कि पंचायत भवन से दूर निर्मित होने के कारण निर्मित *ई–पंचायत भवन* का उपयोग में नहीं था ।

इस प्रकार, *पंचायत भवन में ई–पंचायत कक्ष* के रूप में एक अतिरिक्त कक्ष निर्मित किए जाने संबंधी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में ग्राम पंचायत की विफलता के कारण *ई–पंचायत हरनावदा* के निर्धारित उद्देश्य में उपयोग न होने से, शासन द्वारा व्यय की गयी राशि निष्फल रही एवं *ई–पंचायत* से अपेक्षित सुविधाएं, यथा ग्रामवासियों को रेल ई–टिकट सहित साझा इंटरनेट सेवा केन्द्र, प्रदान नहीं की गई थी ।

ग्राम पंचायत हर्री (जैतहरी, अनुपपुर) के सामुदायिक भवन का केस अध्ययन

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत ₹ पांच लाख के लागत पर एक सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत हर्री (जनपद पंचायत जैतहरी, जिला पंचायत अनूपपुर) में निर्मित किया गया था (अप्रैल 2012)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2016) में पाया गया कि सामुदायिक भवन, सहकारी समिति द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक उचित मूल्य की दुकान द्वारा, अधिपत्य में रखा गया था, जैसा कि छायाचित्र में देखा जा सकता है ।

इंगित किए जाने पर, ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (अप्रैल 2016) कि जिलाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मौखिक आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान के लिए भवन दिया गया था । तथापि, इस दुकान के संचालन के लिए कोई किराया ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा था । उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि ग्राम पंचायत अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी । इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान के लिए सामुदायिक भवन का उपयोग अनाधिकृत था ।

2.1.4.5 ग्रामवासियों को सेवा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर उपकरणों का उपयोग न किया जाना

ई–पंचायत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों को प्रदेश एवं देश के नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाना था ताकि ग्राम पंचायतें, ग्रामीणों को एक सार्वजनिक सेवा केन्द्र, जहां ग्रामीणों को सुविधाएं यथा रेल ई–टिकट एवं अन्य सुविधाएं, जो इंटरनेट एवं कम्प्यूटर के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे सुविधायें प्रदान की जा सकती थी, उपलब्ध कराई जानी थी। इस उद्देश्य हेतु राज्य शासन ने राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही. उपलब्ध कराए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी 100 ग्राम पंचायतों में से केवल 60 ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन एवं 22 ग्राम पंचायतों में नेट कनेक्टिविटी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 ग्राम पंचायतों[5] में कम्प्यूटर उपकरण सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक के पास उनके निवासों पर, तीन

---

5 धुम्मा, हरद, प्यारी नं.–2, बैहाटोला, बुदासा, कन्हेरिया, पाण्डी, जामली, रोलूपिपल्या, खजूरियाजागीर एवं लोहारी

ग्राम पंचायतों[6] में जनपद पंचायत के कार्यालय पर एवं ग्राम पंचायत सिंगावदा में प्राथमिक शाला में रखे हुए थे। दो अन्य ग्राम पंचायतों बरबसपुर एवं जुहिली में कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही., विद्युत कनेक्शन/नेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जून 2014 से निष्क्रिय पड़े हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण एवं नेट जोड़ने का कार्य प्रगति पर था एवं वर्तमान में जिन ग्राम पंचायतों में यह सुविधा नहीं थी, उनमें यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

2.1.4.6 सुरक्षा के उचित प्रबंध न होने के कारण कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी टी.व्ही. की चोरी होना (₹ 23.59 लाख)

ग्राम पंचायत लेखा नियम, 1999 के अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव अथवा भंडार का प्रभारी व्यक्ति भंडार की अभिरक्षा हेतु जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गयी दोनों जिलों की सात जनपद पंचायतों की 43 ग्राम पंचायतों में **₹** 23.59 लाख मूल्य के कम्प्यूटर उपकरण एवं एल.ई.डी.टी.व्ही. चोरी हो गए थे विवरण ***परिशिष्ट–2.3*** में दर्शित है।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य चल संपत्तियों के सुरक्षा के उचित प्रबंध करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

2.1.4.7 भवनों एवं संरचनाओं का वार्षिक निरीक्षण न किया जाना

जिला पंचायतों ने क्षीण भवनों के मरम्मत के प्राक्कलन बनवाने हेतु भवनों एवं संरचनाओं का वर्षिक निरीक्षण नहीं करवाया

मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली की कंडिका 3.063 से 3.065 के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक भवन एवं संरचना की मजबूती का प्रत्येक केलेन्डर वर्ष में कम–से–कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत देवास के 129 ग्राम पंचायत भवनों की कमजोर स्थिति को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने राज्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 2015)। इसी प्रकार जिला पंचायत अनुपपुर ने 76 ग्राम पंचायत भवनों की कमजोर स्थिति को प्रतिवेदित किया था (जनवरी 2016)। तथापि, इन जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के भवनों एवं संरचनाओं का किसी भी तकनीकी दल के माध्यम से वार्षिक निरीक्षण नहीं कराया गया तथा क्षीण भवन के मरम्मत का प्राक्कलन नहीं बनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि भवनों एवं संरचनाओं के वार्षिक निरीक्षण करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.1.5.1 ग्राम पंचायतों को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (2003) के अनुसार, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित व ग्रामीण क्षेत्र की निर्मित समस्त शासकीय संपत्तियों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए उन्हें उन सम्पत्तियों का मालिकाना हक सौंपा जाना था। हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की सूची तीन प्रतियों में बनाई जा कर उसकी एक–एक प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में रखी जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सामुदायिक परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध नहीं

[6] चपलासा, रायपुरा एवं सोनखेड़ी

थे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिवों एवं जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि यद्यपि परिसम्पत्तियां ग्राम पंचायतों के अधिपत्य में थी, किन्तु हस्तांतरण से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतिलिपियां उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि अन्य विभागों से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों के दस्तावेजीकरण एवं संबंधित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में उसकी प्रति रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.5.2 आवश्यक अभिलेखों का संधारण न होना

- राज्य शासन ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया (अप्रैल 2006), ग्राम पंचायतों को परिसम्पत्ति रखरखाव पंजी को तैयार करना आवश्यक था, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा समय–समय पर परिसम्पत्तियों के मरम्मत से सम्बन्धित प्रविष्टियां अभिलिखित की जानी थी। तथापि, किसी भी ग्राम पंचायत ने परिसम्पत्ति रखरखाव पंजी तैयार नहीं की थी।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया

- जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 56, जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 53 एवं ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 55 के अनुसार जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की चल परिसम्पत्तियों को निर्धारित प्रपत्र में अभिलिखित करना चाहिए। तथापि नमूना जांच की गयी किसी भी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में चल परिसम्पत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रही थी। नमूना जांच की गयी 100 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतों में स्थावर सम्पत्तियों की पंजी संधारित की जा रही थी किंतु उन्हें न तो निर्धारित प्रपत्र में रखा गया था और न ही अद्यतन किया गया था। शेष 76 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में सम्पत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रही थी।

- जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 58, जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 55 एवं ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 56 के अनुसार, भंडार पंजी निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा वर्ष में कम–से–कम दो बार भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जॉच की गयी समस्त जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में भंडार पंजी संधारित की गयी थी किन्तु जनपद पंचायत टोंकखुर्द को छोड़कर शेष में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। तथापि, नमूना जांच की गयी किसी भी ग्राम पंचायत में भंडार पंजी संधारित नहीं की जा रही थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि सभी संबंधित पंजियों का संधारण एवं भंडार का आवधिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.5.3. संपत्तियों का डाटाबेस एवं पंचायती राज संस्थाओं की परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.) मैपिंग संधारित नहीं किया जाना

नमूना जांच किए गए किसी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का डाटा बेस नहीं बनाया गया

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, जी.आई.एस. पद्धति की सहायता से सर्वेक्षण करने के पश्चात गांव की प्रत्येक अधोसंरचना को नक्शे पर अंकित किया जाना है एवं ई–गवर्नेन्स को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संपत्तियों का डाटाबेस तैयार किया जाना है। राज्य शासन ने सभी जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को उपलब्ध परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु, परिसंपत्तियों के डाटाबेस का कोडवाइज पंजीयन तैयार करने एवं उन्हें पंचलेखा साफ्टवेयर प्रणाली से जोड़ने हेतु निर्देशित किया था (अप्रैल 2006)।

नमूना जांच किए गए सभी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का कोडवाइज डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। पंचायत राज संचालनालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि ग्राम पंचायतों की अधोसंरचनाओं का जी.आई.एस. मैपिंग नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि वर्तमान में नवीन निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे थे। ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों की जी.आई.एस. मैपिंग के संबंध में निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की परिसंपत्तियों की संख्या एवं स्वरूप, उनके स्थान एवं दशा से संबंधित डाटाबेस न तो राज्य स्तर पर और न ही पंचायती राज संस्था स्तर पर उपलब्ध था।

2.1.5.4 ग्राम पंचायतों में निरीक्षण पंजी संधारित न होना एवं निरीक्षण टीप/प्रतिवेदन जारी नहीं किया जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (अगस्त 2003) के अनुसार, कार्यों का पर्यवेक्षण तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। निरीक्षण पंजी में अधिकारी अपनी टीप दर्ज करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि केवल ग्राम पंचायत जुहिली में निरीक्षण पंजी रखी गयी थी किन्तु उसमें कार्यों के निरीक्षण संबंधी टीप दर्ज होना नहीं पाया गया। आगे, नमूना जांच की गयी कोई भी जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में निरीक्षण से संबंधित अभिलेख यथा निरीक्षण डायरी, निरीक्षण टीप/प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

2.1.5.5 मनरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजना में निर्मित निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (अप्रैल 2006) के अनुसार, विकास कार्यों एवं अनुरक्षण के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013–14 के दौरान जिला अनुपपुर के जनपद पंचायत जैतहरी की सभी 80 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। तथापि, अन्य ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों एवं अन्य योजनाओं के विकास कार्यों/मरम्मत/अनुरक्षण के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) के दौरान शासन ने बताया कि समस्त योजनाओं की निधि के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाएगा।

2.1.6 निष्कर्षों के सारांश एवं अनुशंसाएं

- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना व वार्षिक बजट नहीं बनाया गया था। ग्राम पंचायतों ने विद्यमान परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंचीं।

अनुशंसाः राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु वार्षिक कार्य योजना बनाने सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन करें।

- ग्राम पंचायतों ने पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु पृथक से निधि नहीं रखी, परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियो के अनुरक्षण पर ₹ 4.55 करोड़ का कम उपयोग हुआ। राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद किसी भी ग्राम पंचायत ने अनुरक्षण कार्य के निष्पादन हेतु पृथक से बैंक खाता नहीं रखा था। पंचायती राज संस्थाओं ने अधोसंरचना विकास के निर्माण के लिए जारी की गई तेरहवें वित्त आयोग की परफार्मेन्स ग्रान्ट में से गैर अनुमत्य कार्यों पर ₹ 46.69 करोड़ व्यय किए। लेखापरीक्षा के ध्यान में निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन एवं व्यपवर्तन के प्रकरण आए।

  अनुशंसाः राज्य शासन को परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। निधियों के दुर्विनियोजन एवं व्यपवर्तन के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए। परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु निधि को पृथक से रखना चाहिए एवं उन्हें पृथक बैंक खाते में रखना चाहिए।

- नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं के निरूत्साहपूर्ण रवैये के कारण दो से दस वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बाद भी 1,764 निर्माण कार्य अपूर्ण रहे परिणामस्वरूप उन निर्माण कार्यों पर ₹ 55.72 करोड़ किया गया व्यय निष्फल रहा। आगे, जिला पंचायत अनूपपुर एवं देवास में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्राप्त राशि ₹ 6.00 करोड़, 15 से 36 माह बीत जाने के पश्चात भी, बिना उपयोग के पड़ी रही। दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2014 में ₹ 6.24 करोड़ अग्रिम में भुगतान किए जाने के बावजूद भी कार्यकारी अभिकरण म.प्र. लघु उद्योग निगम ने ई–पंचायत कक्षों का निर्माण/हस्तांतरण नहीं किया। नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों को अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

  अनुशंसाः कार्यकारी एजेन्सी को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर निधियां जारी की जानी चाहिए एवं विलम्ब के लिए शास्ति लगाई जानी चाहिए। ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण की आवश्यकता का आकलन निर्माण कार्य स्वीकृत करने के पूर्व किया जाना चाहिए ताकि परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- ग्राम पंचायतों की अचल परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोड आधारित डाटा बेस तैयार नही किया गया था एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद भी ग्राम पंचायतों की अधोसंरचनाओ की भौगोलिक सूचना पद्धति से मैपिंग नहीं की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावशाली नहीं था तथा आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।

  अनुशंसाः पंचायती राज संस्थाओं को चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का निर्धारित प्रारूप में संधारण सुनिश्चित करना चाहिए तथा उसे

अद्यतन रखना चाहिए। राज्य शासन को ग्राम पंचायत की परिसम्पत्तियों की भौगोलिक सूचना पद्धति से मैपिंग एवं उनका कोड आधारित डाटा बेस प्राथमिकता से तैयार किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं उसे पंचायत दर्पण में ऑनलाईन रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2.1 ब्याज एवं शास्ति की परिहार्य देयता

जिला पंचायत, टीकमगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.21 लाख की ब्याज एवं शास्ति के रूप में परिहार्य देयता हुई

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ई.पी.एफ. अधिनियम), जिसको संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, कारखानों एवं अन्य संस्थानों के कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि की स्थापना हेतु प्रावधान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता, कर्मचारी के वेतन से उसके अंशदान की कटौती करेगा, जिसे वह स्वयं के अंशदान के साथ प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निधि में जमा करेगा। अंशदान के भुगतान में चूक के मामले में, नियोक्ता ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर शास्ति एवं ब्याज की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं उसके अधीनस्थ संगठनों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती हेतु आदेश दिए थे (दिसम्बर 2008)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (फरवरी 2016) कि जिला पंचायत ने विभिन्न योजनाओं जैसे पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष एवं मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों के संबंध में, जनवरी 2009 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान के रूप में राशि ₹ 20.60 लाख ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती की। तथापि, जिला पंचायत, टीकमगढ़ ने लेखापरीक्षा की दिनांक तक इन ई.पी.एफ. कटौतियों को नियोक्ता के अंशदान के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं किया था।

जिला पंचायत, टीकमगढ ने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत आवंटन प्राप्त होने के बाद निधि को ई.पी.एफ.ओ. में जमा करवा दिया जाएगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 20.60 लाख की पूर्ण कटौती को अप्रैल 2016 में ई.पी.एफ.ओ. में जमा करवा दिया गया था। तथापि, ई.पी.एफ.ओ. ने जिला पंचायत टीकमगढ़ पर ई.पी.एफ. अंशदान के देर से जमा किए जाने के कारण ₹ 9.59 लाख का ब्याज एवं ₹ 16.62 लाख की शास्ति आरोपित की थी, जिसको अभी भी जिला पंचायत द्वारा भुगतान किया जाना था (फरवरी 2017)।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने बताया कि सभी जिला/जनपद पंचायतों को कटौती की गई ई.पी.एफ. राशि को संबंधित कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खातों में निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे थे। जिला पंचायत,

टीकमगढ़ कारवाई कर चुका था। इसके अतिरिक्त, ई.पी.एफ. कटौतियों को समय सीमा के अंदर जमा करवाने हेतु निगरानी रखी जाएगी।

तथ्य यह है कि जिला पंचायत, टीकमगढ द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 26.21 लाख की ब्याज एवं शास्ति की परिहार्य देयता का सृजन हुआ।

2.2.2 शासकीय खातों में ब्याज का जमा किया जाना

मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र योजनान्तर्गत प्राप्त की गई ब्याज की राशि ₹ 35.29 लाख को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था जिसमें से ₹ 24.06 लाख को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जमा किया गया था

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देशों की कंडिका 3.6 के अनुसार एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. कार्य, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग इत्यादि के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। आगे, दिशानिर्देशों की कंडिका 3.7 एवं 3.9 और राज्य योजना आयोग के उत्तरवर्ती आदेशों (जनवरी 2008) के अनुसार, मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि पर ब्याज के रूप में प्राप्त की गई राशि को शासकीय खाते में शीर्ष "0049–ब्याज प्राप्ति" के अंतर्गत जमा किया जाना था।

13 जनपद पंचायतों[7] के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) में पाया गया कि इन जनपद पंचायतों के मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि खातों में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 35.29 लाख ब्याज प्राप्त हुआ था ***(परिशिष्ट–2.4)***। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने इसे शीर्ष "0049–ब्याज प्राप्ति" के अंतर्गत शासकीय खाते में प्रेषित नहीं किया था। इस प्रकार, ब्याज को शासकीय खाते में जमा नहीं किए जाने के कारण शासन ₹ 35.29 लाख के राजस्व से वंचित रह गया।

उत्तर में, संबंधित कार्यपालन अधिकारियों[8] ने बताया (जून 2016 और दिसम्बर 2016 के मध्य) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ब्याज की राशि ₹ 24.06 लाख को शीर्ष "0049–ब्याज प्राप्ति" में जमा कर दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि प्रकरण आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित था। तथापि, फरवरी 2017 तक वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि पर प्राप्त किए गए ब्याज को शासकीय खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी थे।

---

[7] जनपद पंचायतः अमरवाडा (छिंदवाडा), बैरसिया (भोपाल), बिछुआ (छिंदवाडा), चाचौरा (गुना), ईसागढ (अशोक नगर), गोहपारू (शहडोल), खकनार (बुरहानपुर), मंडला (मंडला), मैहर (सतना), नैनपुर (मंडला), सांची (रायसेन), शाजापुर (शाजापुर) और श्योपुर (श्योपुर)

[8] जनपद पंचायतः अमरवाडा (छिंदवाडा), बैरसिया (भोपाल), बिछुआ (छिंदवाडा), चाचौरा (गुना), गोहपारू (शहडोल), खकनार (बुरहानपुर), मंडला (मंडला), सांची (रायसेन), शाजापुर (शाजापुर) और श्योपुर (श्योपुर)

2.2.3 संदिग्ध गबन

भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में कपटपूर्ण ढंग से दस हजार के अंक जोड़ कर जनपद पंचायत मनावर में शासकीय धनराशि ₹ 0.10 लाख का गबन किया गया

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 397 के अनुसार भंडार क्रय हेतु भुगतान के समर्थन में प्रस्तुत किए गए देयक के साथ एक प्रमाण पत्र, कि वाउचर में उल्लिखित वस्तुएं वास्तव में प्राप्त हो चुकी है एवं भुगतान की दरें स्वीकृत की गई या बाजार दरों से अधिक नहीं है, संलग्न होगा।

ग्राम पंचायत, जोतपुर, जनपद पंचायत, मनावर (धार) की केन्द्रीय लेखापरीक्षा में वाउचरों की संवीक्षा एवं अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा (मई 2015) से यह पाया गया कि कलेक्टर (आदिवासी विकास) ने "अनुसूचित जनजाति हेतु मलीन बस्ती विकास योजना" अंतर्गत ₹ 5.00 लाख की लागत से ग्राम पंचायत के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी (अगस्त 2014)। ग्राम पंचायत को निष्पादन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्राम पंचायत ने कार्य के पूर्ण होने के बाद (अक्टूबर 2014) जनपद पंचायत मनावर को ₹ 5.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था (नवम्बर 2014)।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने सीमेन्ट कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु ₹ 300 प्रतिदिन की दर पर 30 दिन की अवधि के लिए मिक्चर मशीन किराए पर ली थी। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों में दस हजार वाले स्थान पर संख्या 1 को जोड़कर कुल किराए को ₹ 9,000 से ₹ 19,000 बढ़ा दिया गया था, यद्यपि बीजक के विवरण एवं दर कॉलम में प्रविष्टि अनुसार, आपूर्तिकर्ता को वास्तविक भुगतान किया जाने वाला किराया ₹ 9,000 था। कपटपूर्ण ढंग से बढ़े हुए ₹ 19,000 के देयक को सचिव/सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया था और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनावर द्वारा भुगतान के लिए पारित किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 9,000 की वास्तविक भुगतान राशि के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता को नगद में ₹ 19,000 का भुगतान किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2017) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए बीजक की आहरण एवं संवितरण अधिकारी (यानि कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर) द्वारा भुगतान करने से पूर्व उपयुक्तरूप से जांच नहीं की गयी थी, जिससे ₹ 10,000 का संदिग्ध गबन हुआ।